छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड,
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 162/2006

श्री पदम कुमार जैन, **बी–501, अशोक रत्न,** **न्यू विधानसभा मार्ग,** **रायपुर (छत्तीसगढ़)**	....	**अपीलार्थी**

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी, **छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड,** **शंकर नगर,** **रायपुर (छत्तीसगढ़)**	....	**प्रतिअपीलार्थी**

:: आदेश ::
(25 जुलाई 2006)

श्री पदम कुमार जैन के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–19(3) के अंतर्गत अपील अधिकारी के आदेश दिनांक 24–03–2006 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की।

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने दिनांक 17–01–2006 को कुछ अभिलेखों के अवलोकन हेतु जन सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को आवेदन पत्र दिया था, किन्तु उसे अभिलेखों का अवलोकन नहीं कराया गया, तब आवेदक ने अभिलेखों की छायाप्रति दिनांक 23–01–2006 को आवेदन शुल्क देकर मांग की। उक्त छायाप्रतियां आवेदक को प्रदान नहीं की गई, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने दिनांक 24–02–2006 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील की। अपीलीय अधिकारी ने 24–03–2006 को आदेश पारित किया, जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

आयोग के द्वारा प्रतिअपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। प्रतिअपीलार्थी ने अपने जवाब में बताया कि दिनांक 09–01–2006 को पत्र क्रमांक 266 के माध्यम से आवेदक को जानकारी दे दी गई है। जानकारी में उल्लेख किया गया कि सामने के लाईन में एक भूखण्ड अतिरिक्त मिल रहा था, अतः सामने के 14 भवनों के स्थान पर केवल 13 भवनों की अभिन्यास नगर एवं ग्प्रम निवेश के द्वारा स्वीकृत किया गया। सभी आबंटियों से मौखिक रूप से अतिरिक्त भूखण्ड लेने बाबत् सहमति हेतु निवेदन किया गया। केवल भूखण्ड–7 के आबंटी द्वारा सहमति दिये जाने पर अतिरिक्त भूखण्ड का आबंटन भवन क्रमांक–7 के आबंटी को किया गया। अपीलार्थी के द्वारा दी गई जानकारी में तर्क में कहा गया कि मौखिक रूप से सहमति लेने की कोई प्रथा नहीं है।

मौखिक रूप से सहमति कब किससे ली गई, इसकी जानकारी नहीं दी गई तथा बिना लाटरी के कैसे भूखण्ड आबंटित कर दिया गया। प्रतिअपीलार्थी की ओर से तर्क में कहा गया कि बिना लाटरी के भूखण्ड आबंटित करना वाणिज्यिक गोपनीयता के अंतर्गत आता है, अतः बताना जरूरी नहीं है। प्रतिअपीलार्थी ने अपने जवाब में यह बतलाया कि अपीलीय अधिकारी ने पुरानी तारीख में 22–03–2006 को आदेश पारित किया है तथा आदेश में सहायक सूचना अधिकारी के जवाब 25–03–2006 का उल्लेख करने से यह तथ्य प्रमाणित हो जाता है। अतः उनके द्वारा पारित आदेश की निष्पक्षता एवं पद की गरिमा के विपरीत है।

प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक ने आवेदन–पत्र दिनांक 13–01–2006 के द्वारा मकान नंबर–7 को किस प्रकार आबंटित किया गया, इसकी जानकारी चाही थी। उक्त जानकारी के संबंध में सूचना अधिकारी कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने आवेदक को सूचित किया कि मांगी गई जानकारी उन्हें 10–01–2006 को पूर्व में ही दी जा चुकी है। आवेदक ने उक्त जानकारी अपूर्ण होना बतलाया। अपीलीय अधिकारी के द्वारा इस आधार पर अपील अस्वीकार की गई कि आवेदक को जानकारी दी जा चुकी है।

प्रकरण से यह स्पष्ट है कि जानकारी पूर्ण रूप से नहीं दी गई। किस आधार पर भवन क्रमांक–7 एक व्यक्ति को आबंटित किया गया यह नहीं बतलाया गया तथा भूखण्ड लाटरी से क्यों नहीं आबंटित किया गया। इस संबंध में किसने क्या निर्णय लिया इसे आवेदक को सूचित किया जाना चाहिए था। अतः यह निर्देश दिये जाते हैं कि जन सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल 15 दिन के अंदर आवेदक को अतिरिक्त भूखण्ड प्रदान करने के आधार के संबंध में पूर्ण जानकारी प्रदान करे। प्रकरण में प्रथम अपील अधिकारी के द्वारा आदेश 22–03–2006 में जन सूचना अधिकारी के जवाब 25–03–2006 का उल्लेख किया जाना लिपिकीय त्रुटि बतलाया है, उन्हें सचेत किया जाता है कि इस प्रकार की लिपिकीय त्रुटि होना आपत्तिजनक है। भविष्य में आदेश पारित करते समय पूरी सतर्कता के साथ कार्य करें।

आवेदक को समय पर पूर्ण रूप से जानकारी नहीं प्रदान की गई, जिससे कि आवेदक को बार–बार आवेदन पत्र देने पड़े एवं इससे मानसिक पीड़ा हुई अतः छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के द्वारा आवेदक को 500/– रूपए (पांच सौ रूपए मात्र) की क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी दिया जाता है। इन निर्देशों के साथ अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण समाप्त की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त